राजस्व आदेश अनुकृति-पत्र

मामला क्रमांक-202507242600002 अ—62 वर्ष 2024—25

1	2	3
28-10-2025	प्रकरण नायब तहसीलदार गुरूर से प्राप्त। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रकरण सरपंच ग्राम पंचायत बागतराई के द्वारा शासकीय भूमि पर लगे हरे भरे वृक्षों की अवैध नीलामी कर कटाई करने चोरी करके बाहर बिक्री करने पर उचित कानूनी कार्यवाही करने आवेदन प्रस्तुत किया गया। हल्का पटवारी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। तत्पश्चात प्रकरण प्रारंभ किया गया। प्रकरण विधिवत पंजीबद्ध करने पश्चात हल्का पटवारी के जांच प्रतिवेदन जिसमें प्रतिवेदिन किया है कि ग्राम बागतराई में ग्रामीणों द्वारा शासकीय भूमि पर लगे बबूल वृक्ष को चोरी करके कटाई एवं बिक्री की शिकायत के सबंध में मौका जांच किया गया, जिसमें खसरा नंबर 596 रकबा 11.00 हे. भूमि पर लगे बबूल के लगभग 70 वृक्ष के ढूढ तथा 80 गोले मौके पर मिले। इसी प्रकार खसरा नंबर 372 रकबा 0.39 हे. में स्थित एक बबूल वृक्ष का ढूंढ प्राप्त हुआ, जिसको ग्रामीणों के बताये अनुसार बिना पंचायत की अनुमति के संदिग्ध व्यक्ति द्वारा काटकर एवं कुछ पेड़ों का नीलामी कर बेचा गया बताया गया है उक्त दोनों खसरा नंबर घास मद की शासकीय भूमि है। सरपंच ग्राम पंचायत बागतराई का शपथपूर्वक कथन दर्ज किया गया जिसमें बताया है कि दिनांक 01.05.2025 को ईवन साहू पिता बृजलाल, चन्दूलाल पिता बरसन दोनों निवासी बागतराई के द्वारा खड़े हरे भरे वृक्षों का अवैध नीलामी किया गया। ग्राम बागतराई में स्थित शासकीय भूमि के बबूल लगभग 70—80 नग गोला ग्राम के निवासी ईवन साहू व अन्य व्यक्तियों के द्वारा खड़े झाड़ काटा गया। अन्य व्यक्ति लोकनाथ पिता गुहाराम निवासी बागतराई के द्वारा भी स्कूल खेत में लगे 1 बबूल का वृक्ष को काटा गया है। अन्य साक्षी नरेश पिता शत्रुहन साहू निवासी ग्राम बागतराई का शपथपूर्वक कथन लिया गया, जिसमें उन्होंने सरपंच के कथन का अनुसमर्थन किया गया है। चन्दू लाल ठाकुर पिता बरसन, इवन पिता बृजलाल लोकनाथ पिता गुहाराम सभी निवासी ग्राम बागतराई को नोटिस जारी कर आहूत किया गया। नायब तहसीलदार गुरूर ने अनावेदकगण के द्वारा प्रस्तुत जवाब के कंडिका 06 में उनके द्वारा अवैध कटीले झाड़ी की नीलामी ग्राम विकास समिति के साथ किया गया है एवं थाना गुरूर में जब्तशुदा लकड़ी भी रखा गया है। जिसमें प्रतीत होता है कि अनावेदकगण की भूमि पटवारी के द्वारा	

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार अवैध वृक्ष काटने में है।

प्रकरण में संलग्न नायब तहसीलदार गुरूर के प्रतिवेदन, प्रकरण में संलग्न हल्का पटवारी के प्रतिवेदन आवेदक, अनावेदक के कथन का अवलोकन किया। प्रतिवेदनानुसार अनावेदक एवं साक्षीगण द्वारा अपने साक्ष्य में वृक्षों को कटाई किया जाना स्वीकार किया गया है। ग्राम बागतराई पहनं 25 तहसील गुरूर जिला बालोद की शासकीय भूमि पर स्थित वृक्षों को अध्यक्ष ग्राम विकास समिति एवं अन्य ग्रामवासी ग्राम बागतराई के द्वारा बिना अनुमति के अवैध रूप से कटाई कराया गया है। अतः छ0ग0भू0राजस्व संहिता की धारा 240 के प्रावधानों के तहत अनावेदक चन्दूलाल, ईवन साहू एवं लोकनाथ निवासी ग्राम बागतराई को रू. 2600.00 (अक्षरी:-दो हजार छह सौ रूपये) से दण्डित किया जाता है। अनावेदक आरोपित अर्थदण्ड की राशि खजाना दाखिल कर चालान की प्रति इस न्यायालय को पेश करे। जप्तशुदा कटे हुए उक्त वृक्षों के काष्ठ की नीलामी कराया जाकर प्राप्त धन राशि शासकीय मद में जमा कराया जावे। सर्वसंबंधित को सूचित करें। प्रकरण नस्तीबद्ध कर दा.द. हो।

आज दिनांक 28.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से आदेश पारित एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
गुरूर जिला बालोद

पृ. क्र./ /अ.वि.अ.(रा.)/2025
प्रतिलिपि :- गुरूर, दिनांक 28/10/2025

01. तहसीलदार गुरूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
02. सरपंच ग्राम पंचायत बागतराई जिला बालोद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
03. अनावेदक चन्दूलाल व अन्य 02 साकिन बागतराई तहसील गुरूर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
गुरूर जिला बालोद

Scanned with OKEN Scanner